

(89) (89)

मुख्य नगर निगम
राजस्थान जयपुर
क्रमांक : 15/12/14
दिनांक : 15/12/14

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प. 3(77)नविवि/3/2010पार्ट-III

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर/जोधपुर/अजमेर।

जयपुर, दिनांक :- 15 DEC 2014

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
नगर निगम,
समस्त।

सचिव,
नगर विकास न्यास,
समस्त।

निदेशक,
स्वायत्त शासन विभाग,
जयपुर।

मुख्य नगर नियोजक,
राजस्थान,
जयपुर।

आयुक्त,
राजस्थान आवासन मण्डल,
जयपुर।

विषय :- राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी, 2010 के तहत नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा जारी पट्टों पर पॉलिसी के नामांकन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग से प्राप्त अ.शा. टीप क्र. प.2(31)वित्त/कर/2012 दिनांक 05.02.2014 एवं अधिरूचना क्र प.2(37)वित्त/कर/2010-125 दिनांक 08.03.2011 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। वित्त विभाग के निर्देशानुसार राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी, 2010 के अन्तर्गत जारी किये जाने वाले पट्टों पर, "राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी, 2010 या Policy for Residential. Group Housing & Other Schemes in Private Sector, 2010 (up to 10 ha.) के अन्तर्गत जारी" अंकित किया जावे।

संलग्न उपरोक्तानुसार।

ACCEPTED
STP (8/11/14)

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव